BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 120/2026

IN THE MATTER OF:

SHAMS-O-QAMAR **...Applicant**

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **...Respondent(s)**

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply On Behalf Of Respondent No. 2 – District Magistrate Azamgarh, State of UP with supporting affidavit	1-8
2.	**ANNEXURE - P/1:-** True copy of the Revenue records	9-10
3.	**ANNEXURE - P/2:-** True copy of the eviction order dated 09.11.2023	11-12
4.	**ANNEXURE - P/3:-** True copy of the Order dated 29.10.2025 by ADM	13-15
5.	**ANNEXURE- P/4:-** True copy of the Office Order dated 16.03.2026	16
6.	**ANNEXURE- P/5:-** True copy of Report submitted by the revenue team.	17-19
7.	**ANNEXURE- P/6:-** True copy of the Order dated 02.05.2026	20
8.	**ANNEXURE- P/7:-** True copy of the Eviction order dated 18.11.2023 and Order dated 25.06.2026	21-22
9.	**ANNEXURE- P/8:-** True copy of the Case Status against Respondent No.6	23
10.	**ANNEXURE- P/9:-** True copy of the status of appeal filed	24
11.	**ANNEXURE- P/10:-** True copy of the status of Writ Petition	25
12.	**ANNEXURE- P/11:-** True copy of the Order dated 10.06.2026	26-27
13.	**ANNEXURE- P/12:-** True copy of the status of Eviction Order dated 19.05.2026	28-29

Date:
04**/07/2026**

THROUGH

Priyanka

Place: New Delhi

Priyanka swami
Advocate
Standing Counsel For State of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi 110014

Scanned with OKEN Scanner

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 120/2026

IN THE MATTER OF:

SHAMS-O-QAMAR **...Applicant**

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **...Respondent(s)**

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2-DISTRICT MAGISTRATE AZAMGARH, STATE OF UP WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

That I, Ravindra Kumar, S/o Shri Shiv Nandan Prasad Singh, aged about 45 years, presently posted as District Magistrate, Azamgarh, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and respectfully submit as under:

1. That I am posted as above and I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and am competent to swear the present affidavit.
2. That the accompanying compliance affidavit has been drafted by the counsel on my instructions. The contents of the present affidavit are true and correct and are derived from the official records and no material fact has been concealed therefrom.
3. That the present reply is being filed on behalf of the District Magistrate, Azamgarh, State of Uttar Pradesh, in compliance with the Order dated 24.03.2026, whereby notice was issued to the answering Respondent.
4. That the applicant has raised concerns about public pond at Gata No. 208 area admeasuring 0.0890 hectare in Village Nizamuddin Patti, PS Sarai Meer Tehsil Nizamabad, District Azamgarh, Uttar Pradesh which

has been encroached upon by filling the soil and raising the construction by the private encroachers at the instance of the Respondent No. 4.

5. That it is submitted that in the revenue records of village Nizamuddin Patti, Pargana and Tehsil Nizamabad, District Azamgarh, Uttar Pradesh, Gata No. 208/0.089 Hectare is mentioned in Garha Khata, which is land for public use. The Khata No. 208 is surrounded on three sides by Khata No. 193 of area 1.437 hectares which is recorded in the inhabited account in the revenue records. **True copy of the Revenue record is attached herewith and annexed as Annexure P/1.**

6. That on the basis of the report of the Regional Lekhpal regarding illegal encroachment on 0.004 hectare area by the opponent No. 06 out of Gata No. 208 area 0.0890, computerized case No. T202315060201218, Government vs. Ishtiaq Ahmed was registered in which the then Tehsildar, after hearing both the parties, found illegal encroachment on 0.004 hectare area by the opponent No. 06 out of Gata No. 208 area 0.089 hectare and passed the eviction order on 09.11.2023. **True copy of the eviction order dated 09.11.2023 is attached herewith and annexed as Annexure P/2**.

7. That against the said eviction order, the son of Respondent No. 6 and Respondent No. 8 of the present petition filed an appeal as Attorney General under Section 67(5) of the Uttar Pradesh Revenue Code, Computerized Case No. D202315060004837, Mohammad Shahid vs. Tehsildar. After hearing both parties and examining the lower court's file, the Additional District Magistrate (V/R), Azamgarh, found the eviction order passed without a field book to be illegal. ADM set aside

the eviction order dated 09.11.2023 and passed an order dated 29.10.2025 to return the file with instructions for further proceedings after re-demarcating the plot in question from the designated point and preparing a field book. **True copy of the Order dated 29.10.2025 by ADM is attached herewith and annexed as Annexure P/3.**

8. That in compliance with the above, a five-member revenue team was constituted under the chairmanship of Revenue Inspector Sarai Mir. **True copy of the Office Order dated 16.03.2026 is attached herewith and annexed as Annexure P/4.**

9. That furthermore, on 18.04.2026, by fixing permanent points, the revenue team re-demarcated the plot in question and prepared a field book and on 20.04.2026 and submitted its report along with field book/nazri map, spot memo, in which respondent No. 6 has constructed a permanent house by illegally occupying a total area of 0.008 hectare and another Ashad and Mohd. Arshad and Mohd. Faheem, sons of Abulaish, were found to have illegally constructed an area of 0.011 hectare. **True copy of Report submitted by the revenue team is attached herewith and annexed as Annexure P/5.**

10. That the Tehsildar Nizamabad, after thorough examination of the report of the revenue team and the documents available in the file, found that 0.004 hectare of the plot in question was under illegal occupation, while currently the encroacher had occupied 0.004 hectare of additional land, and passed an eviction order dated 02.05.2026, evicting the opponent No. 6 from the 0.004 hectare area of the plot in

question, and directing the Revenue Inspector and Lekhpal to file a separate suit in respect of the remaining 0.004 hectare of land. **True copy of the Order dated 02.05.2026 is attached herewith and annexed as Annexure P/6.**

11. That an eviction order was passed on 18.11.2023 in respect of illegal encroachment of Mohd. Ashad, Mohd. Arshad and Mohd. Faheem on the plot in question, against which the restoration application filed by Mohd. Ashad was dismissed by the court on 25.06.2026 and an order was passed to keep the earlier order dated 18.11.2023 intact. **True copy of the Eviction order dated 18.11.2023 and Order dated 25.06.2026 is attached herewith and annexed as Annexure P/7 (Colly).**

12. That under the provision of Section 67(5) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, the respondent Mohd. Ashad son of Abulaish has 30 days' opportunity to file an appeal against the order dated 25.06.2026, only after which it is possible to get the order dated 18.11.2023 complied with as per rules.

13. That computerized case No. T202615060206626, Government vs. Ishtiaq Ahmed, under Section 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, is currently pending against the encroachment currently committed by Respondent No. 6 on the remaining 0.004 hectare of the plot in question. In compliance with the principles of natural justice, further action will be taken as soon as possible after providing an opportunity for hearing. **True copy of the Case Status against respondent no. 6 is attached herewith and annexed as Annexure P/8.**

NOTARY GOVT. OF INDIA

14. That against the said eviction order dated 02.05.2026, an appeal has been filed by the son of respondent No. 06 and respondent No. 08 of the present petition before the District Magistrate, Azamgarh under Section 67(5) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, Computerized Case No. D202615060002336, Mohd. Shahid vs. Tehsildar, which is presently pending before the Additional District Magistrate (Finance and Revenue), Azamgarh, for which the next date of hearing is fixed as 08.07.2026. **True copy of the status of appeal filed is attached herewith and annexed as Annexure P/9.**

15. That against the said eviction order dated 02.05.2026, Writ Petition No. C 23069/2026, Ishteyaq vs. State of Uttar Pradesh, was filed before the Hon'ble High Court by the son of respondent No. 06 and respondent No. 08 in the present petition, praying to stay the execution of the eviction proceedings. To which an order has been passed by the Hon'ble Court on 10.06.2026, to not to take any punitive action against the petitioner till the disposal of the application filed on 21.05.2026 or till 31.07.2026 in the appeal filed by the petitioner under Section 67(5) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006. **True copy of the status of Writ Petition is attached herewith and annexed as Annexure P/10.**

16. That in pursuance of the above order dated 10.06.2026 passed by the Hon'ble High Court, it is not possible to get the eviction order dated 02.05.2026 passed against the respondent No. 6 complied with till the disposal of the application dated 21.05.2026 and the appeal filed before the Appellate Court. **True copy of the Order dated**

10.06.2026 is attached herewith and annexed as Annexure P/11.

17. That it is further submitted that the petitioner himself had illegally encroached upon 0.003 hectare of plot no. 249/0.019 hectare mentioned in the Chak Marg account by constructing a house and occupied it. In this regard, a computerized case no. T202315060201989 Government vs Shams o Qamar under Section 67 was filed against the petitioner. After hearing both the parties, the petitioner's illegal encroachment by constructing a permanent house on the Chak Marg meant for public use was found to be illegal and an eviction order was passed (Annexure-14). It is clear from the above. Thus, the petitioner himself has not come before the Hon'ble Court with clean hands. **True copy of the status of Eviction Order dated 19.05.2026 is attached herewith and annexed as Annexure P/12.**

18. That the petitioner has the opportunity to present his case in the pending appeal and obtain the relief sought. However, the petitioner has filed the present petition in question without following the above procedure. The petition is not maintainable as alternative relief is available.

19. That the facts stated hereinabove are based upon official records, documents available in the office, and the same are being respectfully submitted before this Hon'ble Tribunal for appropriate consideration and further necessary orders as may be deemed fit in the interest of justice and environmental compliance.

NOTARY GOVT. OF INDIA

03/7/26

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at..................on this............... day of June, 2026 that the contents of the above affidavit are correct to my knowledge as derived from the official record available in my office and believed to be true. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Date

03.07.2026

DEPONENT

Through Counsel
District Magistrate
Azamgarh, Uttar Pradesh

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★

Certified that Sri/Smt......Ravindra Kumar......S/o......Shiv Nandan Prasad Singh
aged about years Presented this affidavit before me today at about............12:35 A.M. P.M.
and administered oath U/s 3 of Notaries Act 1952 who voluntarily affirmed to the contents of this affidavit have satisfied my self by examining the deponent that he understood the contents of this affidavit which had been read over and explained to him. Sri/Smt......Ravindra Kumar Singh
to personally know to me or identified by vakil/Advocate. R. K. Asthana Adv

Rakesh Kumar Asthana
Notary
3.7.26

Rakesh Kumar Asthana
Advocate & Notary (Govt. of India)
House No.-88, Laxmi Bhawan,
Azamgarh (U.P.)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP49388320857812Y 8

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP49388320857812Y
Certificate Issued Date	:	03-Jul-2026 10:46 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14257104/ NIZAMBAD/ UP-AZG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14257104926115803111190Y
Purchased by	:	RAVINDRA KUMAR DM AZAMGARH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Affidavit
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	NATIONAL GREEN TRIBUNAL NEW DELHI
Second Party	:	RAVINDRA KUMAR DM AZAMGARH
Stamp Duty Paid By	:	RAVINDRA KUMAR DM AZAMGARH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY ★ Rakesh Kumar Asthana Advocate Distt. Azamgarh (U.P.) Reg. No.-2147 NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF INDIA

Please write or type below this line

Signature- [signature]
ACC Name-Ajay Kumar Yadav
ACC Code-UP14257104
ACC Add.-Teh.-Nizamabad,Azamgarh
Mobile No.-6386327953, L.No.-50
Tehsil-Nizamabad,District-Azamgarh

Notary Reg S.N. 181
Date 3-7-2026

[signature]

ATTESTED

at The Strength of Identification of Sri R.K. Asthana Adv
Advocate Dr. Distt. Azamgarh STATE UP

Certified that Sri/Smt. Ravindra Kumar S/o Shiv Nandan Prasad Singh aged about years Presented this affidavit before me today at about 12:30 A.M. P.M. and administered oath U/s 8 of Notaries Act 1952 who voluntaerily affirmed to the contents of this affodevit have satisfied my self by examing the depo enant that be under tands the contents of this affidavit which were read over and explained to him Sri/Smt. Ravindra Kumar to personally know to me or identified vakil/Advocate. R. K. Asthana Adv

Rakesh Kumar Asthana
Notary

NOTARY ★ Rakesh Kumar Asthana Distt. Azamgarh (U.P.) Reg. No.-2147 GOVT. OF INDIA 3.7.26

Rakesh Kumar Asthana 4.7.26
Advocate & Notary (Govt. of India)
House No.-S8, Laxmi Bhawan,
Raidopur, Azamgarh (U.P.)

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

https://upbhulekh.gov.in/... (partially legible URL)

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 19437120260664

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) : निजामुद्दीनपट्टी(निजामाबाद)	तहसील :	जनपद :	फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)	भाग :	(1)खाता संख्या :
194371	निजामुद्दीनपट्टी(निजामाबाद)	निजामाबाद	आजमगढ़	1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)	1	00227

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - आबादी भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
208	1) गाहा / 0 / नि. ग्राम			208(1943710208000061)	0.0890	1) 1/1	1) 0.0890	0.00
							0.0890	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.0890 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0890)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 19437120260665

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) :	तहसील :	जनपद :	फसली वर्ष :	भाग :	(1)खाता संख्या :
194371	निजामुद्दीनपुर(निजामाबाद)	निजामाबाद	आजमगढ़	1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)	1	00232

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थान, सड़कें, रास्ते,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
193	1) आबादी / --- / नि. ग्राम			193(1943710193000062)	1.4370	1) 1/1	1) 1.4370	0.00
							1.4370	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 1.4370 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (1.4370 (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

6/4/2026, 11:18 AM

79

Annexure-10

38

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मंडल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :निजामाबाद
वाद संख्या :-1218/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202315060201218
सरकार बनाम इस्तियाक अहमद
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत बेदखली का वाद हल्का लेखपाल की रिपोर्ट नोटिस 49क के आधार पर प्रचलित हुआ, जिसमें उल्लिखित है, कि मौजा निजामुद्दीनपट्टी स्थित आ0नं0 208 रकबा 0.0890हे0 मे से 0.004हे0 अभिलेख में गाड़ा के खाते की भूमि है, जिसपर प्रतिवादी इस्तियाक अहमद पुत्र कायमअली सा0 निजामुद्दीनपट्टी द्वारा मकान बनाकर कब्जा किया है। जिससे गांवसभा की क्षति हुई है। बेदखली हेतु रिपोर्ट के साथ खतौनी व खसरा व नजरी नक्शा दाखिल किया गया है।

वाद दर्ज कर नियमानुसार आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया, जो सूचना पर तामील होकर संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.06.2021 को आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया कि आ०न० 208 रकबा 0.004 हे० भूमि पर हरगिज तौर पर हमारा कब्जा नहीं है। रिपोर्ट लेखपाल काल्पनिक है तथा मौके पर कोई पैमाइश नहीं की गई है। जो भी रिपोर्ट दी गयी है। वह गलत एवं अवैधानिक तथ्यों पर आधारित होने की वजह से खारिज होने योग्य है। विपक्षीगण कमरूजमा, शम्सकमर, शाह आजम आदि द्वारा ग्राम सभा सम्पत्ति पर मकान बनाकर काबिज है। उन लोगों के खिलाफ धारा 67 उ0प्र0रा0सं0 2006 के तहत मुकदमा श्रीमान् जी के न्यायालय में विचाराधीन है, प्रतिशोध की भावना से हम आपत्तिकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट उपरोक्त लगवायी गयी है। जबकि वस्तूतः हम प्रार्थी आपत्तिकर्ता का गाँव सभा सम्पत्ति पर कोई कब्जा नहीं है। उपरोक्त वाद में पैमाइश सम्बन्धित रा०नि०/लेखपाल से कराकर रिपोर्ट मंगा कर वस्तू रिपोर्ट से अवगत होते ही रिपोर्ट उपरोक्त वापस लिया जाना न्यायाहित में नितान्त आवश्यक है। आपत्तिकर्ता का मकान बैनामाशुदा भूमिधरी एव आबादी पुरानी में बना हुआ तथा मकान लगभग 40 वर्ष पूर्व का बना हुआ है। मकान चकबन्दी पूर्व का बना हुआ है। हम प्रार्थी का हरगिज तौर मकान आबादी गॉव सभा सम्पत्ति में नहीं है। दिनांक 25.07.2023 को शम्सकमर पुत्र फिरोज अहमद द्वारा आपत्ति के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया है कि यह कि विपक्षी हाजिक द्वारा पेश की गयी आपत्ति बिल्कुल बेबुनियाद व निराधार है और खिलाफ कानून व कायदा हैं, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए निरस्त होने योग्य है। मौजूदा मुकदमें में दाखिल रिपोर्ट श्री इश्तियाक अहमद पुत्र स्व० कायमअली के खिलाफ है, इसलिए क्रिमिनल मुकदमा होने के नाते आपत्तिकर्ता का Locus Atandi नहीं बनता है । आपत्तिकर्ता के खिलाफ मौजूदा मुकदमा पंजीकृत नहीं है बल्कि मौजूदा मुकदमा श्री इश्तियाक अहमद पुत्र स्व० कायमअली के खिलाफ पजीकृत है, इसलिए आपत्तिकर्ता श्री हाजिक की आपत्ति सुने जाने के योग्य नहीं है । आपत्तिकर्ता की आपत्ति की बुनियाद पर किसी तरह का आदेश गैर कानूनी है । आपत्तिकर्ता की तरफ से फाईल वकालतनामा व आपत्ति दोनों ही गैर कानूनी है और कायदे के खिलाफ है क्योकि विपक्षीगण श्री इश्तियाक अहमद ने आपत्तिकर्ता के पक्ष में कोई पॉवर आम्फ एटॉर्नी नहीं दे रखी है और ना ही दे सकते हैं क्योंकि मौजूदा मुकदमा क्रिमिनल ट्रायल है और क्रिमिनल ट्रायल में मुल्जिम की जगह पर कोई Substitute नहीं हो सकता ।

39

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :निजामाबाद
वाद संख्या :-1218/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202315060201218
सरकार बनाम इस्तियाक अहमद
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

हाजिक द्वारा पेश की गयी आपत्ति इस बुनियाद भी अस्वीकार है कि श्री हाजिक के हस्ताक्षर आपत्ति पर फर्जी बनाये गये है इसलिए कि श्री हाजिक इस वक्त दुबई में स्थित हैं। श्रीमान् से प्रार्थना है कि पैरोकार श्री शाहिद पुत्र श्री इश्तियाक अहमद के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर कर आपत्ति प्रस्तुत करने के जुर्म में धारा 340 जा०फौ० में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित किया जाये ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तायों को सुना विवादित आराजी का स्थलीय निरीक्षण किया आराजी नेजाई निजामुद्दीनपट्टी स्थित आ0नं0 208 रकबा 0.0890हे0 मे से 0.004हे0 अभिलेख में गाड़ा के खाते की भूमि है, जिसपर प्रतिवादी इस्तियाक अहमद पुत्र कायमअली सा0 निजामुद्दीनपट्टी द्वारा मकान बनाकर कब्जा किया है। प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नही दिया गया। लेखपाल के रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी का कब्जा होना सिद्ध है। अतः प्रतिवादी का आपत्ति प्रार्थना पत्र आधारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। जिससे ग्राम सभा की क्षति हुयी है। प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली/क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

मौजा निजामुद्दीनपट्टी स्थित आ0नं0 208 रकबा 0.0890हे0 मे से 0.004हे0 अभिलेख में गाड़ा के खाते के भूमि पर कब्जा बने रहने के आधार पर प्रतिवादी इस्तियाक अहमद पुत्र कायमअली सा0 निजामुद्दीनपट्टी को अवैध कब्जे से बेदखल किया जाता है, क्षतिपूर्ति स्वरूप मु0 3,000रू0(तीन हजार रू0) आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0 सी0 प्रपत्र--21 जारी हो। आदेश की प्रति राजस्व निरीक्षक को अनुपालनार्थ प्रेषित हों। वाद वसूली क्षतिपूर्ति/बेदखली पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

09.11.23

सहा0कले0प्रथम श्रेणी/तहसीलदार
निजामाबाद आजमगढ़।

True copy of the order as provided by the copying branch

6-2-26

न्यायालय : - अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- D202315060004837
वाद संख्या:- 4837/2023
मो0 शाहिद बनाम तहसीलदार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67(5)
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 29/10/2025

ग्राम-निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील-निजामाबाद जनपद-आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत अपील अन्तगत धारा 67(5)उ0प्र0रा0सं02006 इश्तेयाक अहदम द्वारा दिनं०क08.12.2023 को न्यायालय जिलाधिकारी आजमगढ़ के समक्ष सरकार बनाम इश्तेयाक अहमद वाद संख्या संख्या टी202315060201218 में पारित तहसीलदार निजामाबाद के आदेश दिनांक 09.11.2023 के विरुद्ध इस कथन के साथ योजित किया गया कि'' फैसला अदालत मातहत खिलाफ कानून व कायदा पातिर किया गया है. जिससे निरस्त होने योग्य है। अपीलकर्ता इश्तेयाक अहमद का मुख्तारेआम है। इसलिए अपील उनके हित के लिए मुख्तारेआम की हैसियत से प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका मुझे कानूनन अधिकार हासिल है। इश्तेयाक अहमद पुत्र कायम अली का मकान पुरानी आबादी में बना हुआ है। कत्तई गाड़ा की भूमि पर निर्मित नही है। लेखपाल ने गांव के दुश्मनान की साजिश में होकर बिना मौके पर पैमाइश किये और बिना मौका देखे दुश्मनान के कहने पर परेशान करने की बदनियती से रिपोर्ट लगाया, जिसे बिना मौका देखे अदालत मातहत ने क्षतिपूर्ति व बेदखली का आदेश गैर कानूनी तौर पर पारित कर दिया।. धारा 67 की कार्यवाही में अदालत द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है न कि आदेश अपने अधीनस्थ की आख्या को केवल आधार मानकर आदेश पारित करना होता है, जिससे अदालत मातहत ने कानून का उल्लंघन करके आदेश पारित किया है, जो कत्तई स्थिर रखने योग्य मही है। इश्तेयाक अहमद बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, जिन्होने कत्तई गाड़ा की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। ऐसी दशा में अपील स्वीकार कर फैसला अदालत मातहत निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए कि अदालत मातहत स्वयं स्थल निरीक्षण करके तथा मौके पर पैमाइश कराकर बाद सुनवाई आदेश गुण-दोष के आधार पर करें। लेखपाल का बयान व उससे जिरह करने का अवसर भी अपीलकर्ता को नहीं दिया गया, जिससे असलियत के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। अन्त में अनुरोध किया गया कि'' उपरोक्त आधारो पर अपील स्वीकार करके फैसला अदालत निरस्त करते हुये पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जावे कि अदालत मातहत स्वयं स्थल निरीक्षण करें एवं मौके पर पैमाइश कराकर बाद सुनवाई आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित करें। 08.12.2023जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 14.07.2023 द्वारा वाद पत्रावली निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ को प्राप्त करायी गयी है।

विपक्षी शम्सेकमर द्वारा दिनांक 09.04.2025 को मा0 उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 नं0 273/2025 शम्सकमर बनाम उ0प्र0राज्य व 04 अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2023 की प्रति दाखिल की गयी, जिसके अन्तगत मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.2025 द्वारा त्वरित वाद का निस्तारण किया जाय।''

न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2025 के क्रम में अवर न्यायालय की पत्रावली मांगी गयी। अवर न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार निजामाबाद की आख्या दिनांक 28.07.2025 प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 25.08.2025 के क्रम में न्यायालय के आदेश दिनांक 25.08.2025 द्वारा तहसीलदार निजामाबाद से पुनः स्पष्ट स्थलीय आख्या मय फील्डबुक के मांगी गयी। गठित राजस्व टीम की स्थलीय आख्या दिनांक 05.09.2025 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 04.10.2025 को अग्रसारित की गयी है, प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है, जिसमें उल्लेख है कि'' ग्राम निजामुद्दीनपट्टी के राजस्व अभिलेखों में माटा संख्या 208/-0.0898हे0 गाड़ा खाते की भूमि है। उक्त माटा संख्या 208ध्0.089हे० गाड़ा खाते की भूमि, गाटा संख्या 193 रकबा 1.437हे० आबादी श्रेणी 6(2) व गाटा संख्या 207 रकबा 0.037हे० बजार खाते की भूमि व गाटा संख्या 209 रकबा 0.176 हे० संक्रमणीय भूमिधर अब्दुल कयूम पुत्र मुख्तार से घिरी हुयी है। बर्तमान गाटा संख्या 193 क्षेत्रफल 1.437 हे0 के संपूर्ण रकबे पर सार्वजनिक आबादी रास्ता कायम है। गाटा संख्या 208 गाड़ा भूमि के सीमांकन के बावत् भूचित्र के आधार पर स्थाई पत्थर की तलाश किया जो ग्राम निजामुद्दीनपट्टी स्थित गाटा संख्या 293 व गाटा संख्या 362 में निर्मित पाया गया। उक्त दोनों पत्थरों से गाटा संख्या 208 के सीमाकन के बाबत जरीबी लाइन चलना संभव न होने पर आस-पास अन्य स्थाई पत्थरों की तलाश किया जो प्रश्नगत स्थल से काफी दूर व आबादी से घिरे होने के कारण सीमाकन हेतु उपयुक्त नहीं थे। तत्पश्चात् गाटा संख्या 208 के सीमांकन के बाबत चकमार्ग गाटा संख्या 124 व चकमार्ग गाटा संख्या 130 की कटान बिन्दु (तीमेड़ा) जिसे संलग्न फोल्डबुक में बिन्दु ''ए'' से प्रदर्शित किया गया है व मुख्यमार्ग गाटा संख्या 129 व 369 व मार्ग गाटा संख्या 131 व 133/423 के कटान बिन्दु (चैमेड़ा) जिससे संलग्न फील्डबुक में बिन्दु ''बी'' से प्रदर्शित किया गया है तथा ''ए'' की सहायता से काल्पनिक बिदु ''सी''

मुताबिक भूचित्र खींचा गया तथा गाटा स०134 के उत्तरी पूर्वी कोण को बिंदु ''डी'' तथा गाटा सं० 240 की उत्तरी पश्चिमी कोण को बिंदु ''ई'' से प्रदर्शित किया गया है। उक्त विंद ए, सी, डी, ई को आधार मानकर गाटा संख्या 208/-0.089हे0 गाडा खाते की भूमि का सीमांकन किया गया। मौके पर चली गई दूरी व जरीबी लाइन को फील्ड बुक में प्रदर्शित किया गया है जिस कारण पुन यहां अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त बिन्दुओं से सीमांकन उपरांत विदित हुआ कि माटा संख्या 208/-0.089 हे० गाडा भूमि में से रकबा 0.004 हे० भूमि पर इस्तियाक अहमद पुत्र कायम अली व रकबा 0.010हे0 पर असहद, मो0 अरशद, मो0 फहीम पुत्रगण अबुलैस अहमद द्वारा पक्का पैतृक आवासीय मकान बनाकर अवैध अध्यासन किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि गाटा संख्या 208 रकबा 0.089 हे0 आबादी गाटा संख्या 193/-1.437 हे० से घिरा हुआ है तथा मौके पर 0.089 हे० से अधिक भूमि परती व मौके पर गाड़ानुमा खाली है।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की तर्कपूर्ण बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर संस्थित समस्त संगत अभिलेखों व गठित राजस्व टीम की स्थलीय आख्या दिनांक 05.09.2025 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 04.10.2025 को अग्रसारित की गयी है, व अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 का सम्यक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर संचालित हुआ, जिसमें तहसीलदार के आदेश दिनांक 09.11.2023 द्वारा मौजा निजामुद्दीनपट्टी के गाटा संख्या 208 रकबा 0.0890हे0 अभिलेख में गाडा खाते की भूमि है, जिसमें से रकबा 0.0004हे0 पर अपीलकर्ता इस्तियाक अहमद द्वारा मकान बनाकर अवैध कब्जा किये जाने पर बेदखली का आदेश पारित करते हुए क्षतिपूर्ति आरोपित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट सी0 संख्या 36396/2024 नन्हें बनाम उ0प्र0राज्य व 3 में पारित अन्तरिम आदेश दिनंाक 28.11.2024 जिसमें उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 67 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम 66 व 67 का उल्लेख करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिषिपाल सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 2024 आर0एन0पी0 पेज 109 से 113 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि ''उ0प्र0रा0सं02006 की धारा-67 सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए फील्डबुक तैयार कर लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को न्यायालय में सावित करने के उपरान्त ही आदेश पारित करेगें'', परन्तु उक्त रिपोर्ट में लेखपाल द्वारा फील्डबुक नहीं बनाया गया और न ही उक्त रिपोर्ट को न्यायालय में साबित कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उ0प्र0रा0सं0 2006की धारा-67 में दिये गये प्राविधानों का पूर्णरुप से पालन नहीं किया गया है, बल्कि अवर न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरसरी तौर पर आदेश पारित कर दिया गया जो विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही गठित राजस्व टीम की स्थलीय आख्या दिनांक 05.09.2025 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 04.10.2025 को अग्रसारित की गयी है, में स्पष्ट उल्लेख है कि गाटा संख्या 208 रकबा 0.089 हे0 आबादी गाटा संख्या 193/-1.437 हे० से घिरा हुआ है तथा मौके पर 0.089 हे० से अधिक भूमि परती व मौके पर गाड़ानुमा खाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत् गाटा संख्या 208 का बिना सीमांकन कराये ही सरसरी तौर पर लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2023 को बेदखली आदेश पारित करते हुए क्षतिपूर्ति आरोपित किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलकर्ता इश्तेयाक अहमद द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 08.12.2023 स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश दिनांक 09.11.2023 अपास्त किया जाता है तथा आदेश की एक प्रमाणित प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार निजामाबाद को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 67 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत् गाटे का निर्धारित विन्दु से पुनः सीमांकन कराने के उपरान्त फील्डबुक तैयार कराते हुए यदि अपीलकर्ता का प्रश्नगत् भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मा0 उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 नं0 273/2025 शम्सकमर बनाम उ0प्र0राज्य व 04 अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2023 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 के क्रम में वाद निस्तारित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनंाक 29.10.2025

(गम्भीर सिंह)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

आजमगढ़।

यह आदेश आज मेरे व्दारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनंाक 29.10.2025

(गम्भीर सिंह)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

आजमगढ़।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

कार्यालय–आदेश

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के आदेश दिनांक 29.10.2025 के कम में मौजा निजामुद्दीनपट्टी के गाटा संख्या 208 रकबा 0.0890हे0 के सीमांकन फिल्ड बुक सहित आख्या प्रस्तुत करें।

उक्त आदेश के कम में प्रकरण का नियमानुसार स्थलीय निरीक्षण/सीमांकन करने हेतु **श्री राधेश्याम राजस्व निरीक्षक सरायमीर** के अध्यक्षता में निम्नवत राजस्व टीम का गठन किया जाता है:–

क0 सं0	नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
2	श्री राजेश मौर्य	राजस्व निरीक्षक	
3	श्री शुभम	लेखपाल	
4	श्री बृजकिशोर यादव	लेखपाल	
5	श्री युनुस	लेखपाल	

उपरोक्त टीम को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की पैमाइस कराते हुए नियमानुसार निस्तारण कराकर निस्तारण आख्या 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:–यथोक्त।

16/3/26

(चमन सिंह)
तहसीलदार
निजामाबाद–आजमगढ़।

कार्यालय तहसीलदार निजामाबाद, आजमगढ़।

संख्या– 73 /एम0जे0 दिनांक 16 मार्च, 2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. थानाध्यक्ष सरायमीर, आजमगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल (पुरुष/महिला) उपलब्ध कराने हेतु।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।

16/3/26

तहसीलदार
निजामाबाद–आजमगढ़।

महोदय,

अपरजिलाधिकारी महोदय (वि०रा०) के आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुपालन में तहसीलदार महोदय द्वारा गठित की गयी राजस्व टीम द्वारा दिनांक 18.04.2026 को ग्राम निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील निजामाबाद जनपद- आजमगढ़ में स्थित गाटा सं० 208 क्षे० .089 हे० (219 कड़ी) के पुन: सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित हुआ। सर्वप्रथम ग्रामवासियों की उपस्थिति में मापक यन्त्रों की जांच की गयी जो सही पाया गया। तत्पश्चात गाटा सं० 208 क्षे० .089 हे० के सीमांकन हेतु तीन निश्चित बिन्दुओं की तलाश की गयी। गाटा सं० 208 आबादी के समीप होने के कारण आस-पास कोई सेहद्दा या दोहद्दा पत्थर न होने के कारण आपसी सहमति से सरहद पर स्थित चकमार्ग गाटा सं० 124 व चकमार्ग गाटा सं० 130 के कराम बिन्दु को लिया गया जिसे अक्षर A से दर्शाया गया है। दूसरा निश्चित बिन्दु चकमार्ग गाटा सं० 130 व चकमार्ग गाटा सं० 144 के कराम बिन्दु को लिया गया जिसे अक्षर B से दर्शाया गया है। तीसरा निश्चित बिन्दु चकमार्ग गाटा सं० 254 व चकमार्ग गाटा सं० 249 के कराम बिन्दु को लिया गया जिसे अक्षर C से दर्शाया गया है। इन्हीं बिन्दुओं A, B, C को आधार मानकर गाटा सं० 208 क्षे० .089 हे० (गाटा) का सीमांकन प्रारम्भ किया गया। गाटा सं० 208 का अभिलेखीय क्षे० 219 कड़ी व भूचित्र के अनुसार क्षे० 219 कड़ी पाया गया। गाटा सं० 208 को फील्डबुक में EFGH द्वारा दर्शाया गया है। फील्डबुक में IJKL क्षे० .008 हे० पर इस्तेयाक अहमद पुत्र कायम अली STQR क्षे० .011 हे० पर असहद व मु० अरशद व मु० फहीम पुत्रगण अबुलैस अहमद का पक्का मकान पाया गया। पूर्व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अतिक्रमणकारी इस्तेयाक अहमद पुत्र कायम अली पर .004 हे० (10 कड़ी) व असहद व मु० अरशद व मु० फहीम पुत्रगण अबुलैस पर 0.010 हे० (25 कड़ी) क्षे० पर उ०प्र० रा० सं० 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत तहसीलदार महोदय निजामाबाद के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 18.04.2026 को राजस्व टीम द्वारा सीमांकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि इस्तेयाक अहमद पुत्र कायम अली द्वारा 0.008 हे० (20 कड़ी) व असहद व मु० अरशद व मु० फहीम पुत्रगण अबुलैस द्वारा 0.011 हे० (27 कड़ी) क्षेत्र पर अवैध कब्जा करके पक्का मकान बना लिया गया है। फील्डबुक में अतिक्रमित भाग को IJKL व STQR द्वारा दर्शाया गया है।

अत: आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित

Shubham KC (लेख०)
20/04/2026
शुभम कुमार लेखपाल
मण्डल ....मोहद्दीपुर......
तहसील निजामाबाद - आजमगढ़

20/04/26
राधेश्याम राम
रा० नि० क्षे०- सरायमीर
तह०-निजामाबाद, आजमगढ़

प्रभुनाथ यादव
राजस्व निरीक्षक क्षेत्र..निजा०
तह०-निजामाबाद, आजमगढ़
20/04/2026

20-04-26

2/4/26
राजेश कुमार मौर्य
रा०नि०क्षे० ...
तह०निजामाबाद, आजमगढ़

बृजकिशोर यादव (लेखपाल)
मण्डल ...
तहसील- ...बाद, आजमगढ़
20-4-2026

स्पाट मेमो

आज दिनांक 18.04.2026 को ग्राम- निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील- निजामाबाद- जनपद आजमगढ़ में स्थित गाटा सं.- 208/0.089 हे0, जो गाड़ा खाते की भूमि है इस गाटे का सीमांकन उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में किया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर कराये गये।

Shubham K 20/04/2026
शुभम कुमार लेखपाल
मण्डल ...सीहटपुर.....
तहसील निजामाबाद - आजमगढ़

hozaifa

20/04/26
राधेश्याम राम
रा० नि० क्षे०- सरायमीर
तह०-निजामाबाद,आजमगढ़

20-4-26

20/4/26
राजेश कुमार मौर्य
रा०नि०क्षे०...
तह०निजामाबाद,आजमगढ़

प्रभुनाथ यादव
राजस्व निरीक्षक क्षेत्र...
तह०-निजामाबाद, आजमगढ़
20-04-2026

बृजकिशोर यादव (लेखपाल)
मण्डल ...
तहसील-निजामाबाद,आजमगढ़
20-4-26

फील्ड बुक ग्राम- निजामुद्दीन पट्टी परगना व तह० निजामाबाद जनपद - आजमगढ़ बाबत गाटा सं० 208 क्षे० .089 हे०

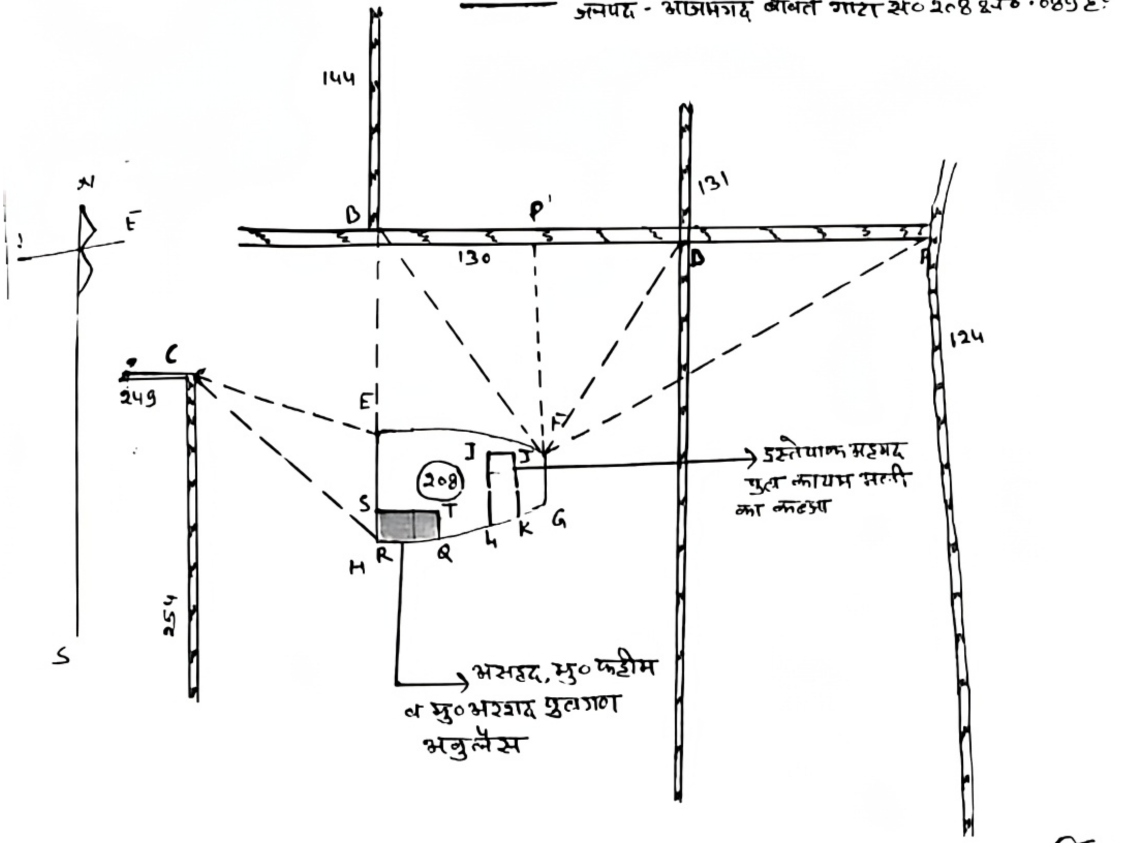

बिन्दु	दूरी मानचित्र के अनुसार	दूरी (स्थल पर)
AD	1910	1970
AF	2520	2670
DB	930	970
DF	690	690
BF	510	510
BE	450	450
CE	540	540
CH	570	570
PF	330	330
EF	240	240
FG	30	30
GH	250	250
EH	80	80

Shubham K (लेखपाल) 20/04/2026
शुभम कुमार लेखपाल
मण्डल ओहिदपुर
तहसील निजामाबाद - आजमगढ़

20/04/26
राधेश्याम राम
रा० नि० क्षे०- सरायमीर
तह०-निजामाबाद,आजमगढ़

प्रभुनाथ यादव
राजस्व निरीक्षक क्षेत्र [illegible]
तह०-निजामाबाद, आजमगढ़
20/04/2026

बृजकिशोर यादव (लेखपाल)
मण्डल अनऊ
तहसील निजामाबाद, आजमगढ़
20-4-26

20/4/26
20/4/26
राजेश कुमार मौर्य
रा०नि०क्षे०. [illegible]
तह०निजामाबाद,आजमगढ़

न्यायालय : - तहसीलदार
पीठासीन अधिकारी का नाम:- चमन सिंह
मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :निजामाबाद
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202315060201218
वाद संख्या:- 1218/2023
सरकार बनाम इस्तियाक अहमद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 02/05/2026

निर्णय

पत्रावली अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय के न्यायालय में अपीलकर्ता इस्तियाक अहमद द्वारा अपील प्रस्तुत किया गया था। जो दिनांक 08.12.2023 को अपील स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 09.11.2023 अपास्त कर दिया गया। तथा आदेश आदेश की एक प्रमाणित प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार निजामाबाद को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 67 में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत प्रश्नगत गाटे का निर्धारित बिन्दु से पुनः सीमांकन कराने के उपरान्त फील्डबुक तैयार कराते हुए यदि अपीलकर्ता का प्रश्नगंत भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। नियमानुसार पत्रावली में तिथि लगायी गयी। दिनंाक 26 मार्च,2026 से उक्त आदेश के कम में प्रकरण का नियमानुसार स्थलीय निरीक्षण/ सीमांकन करने हेतु श्री राधेश्याम राजस्व निरीक्षक सरायमीर के अध्यक्षता में राजस्व टीम का गठन कर आख्या अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि राजस्व टीम द्वारा पुनः स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनंाक 20.04.206 की जॉच में कहा गया है कि इस्तियाक अहमद पुत्र कायम अली का पक्का मकान पाया गया। पूर्व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अतिक्रमणकारी इस्तियाक अहमद पुत्र कायम अली पर 0.004हे0(10कड़ी) पर अवैध कब्जा की रिपोर्ट प्रेषित किया गया था, परन्तु वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व राजस्व टीम के साथ सीमांकन किया गया। सीमांकन आख्या व फील्ड़बुक से स्पष्ट है कि इस्तियाक अहमद पुत्र कायम अली साकिन निजामुद्दीनपट्टी द्वारा गाटा सखं्या 208 रकबा 0.0890हे0 में से रकबा 0.008हे0(20कड़ी) पर पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जो फील्डबुक मंे अतिकृमित भाग को आई.जे.के.एल. दर्शाया गया है। टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण की आख्या के आधार पर प्रतिवादी द्वारा अवैध मकान बना कर कब्जा किया है। जिसपर प्रतिवादी इस्तियाक अहमद पुत्र कायम अली साकिन निजामुद्दीनपट्टी का कब्जा होना सिद्ध है। जबकि पूर्व में 0.004हे0 पर लेखपाल द्वारा आर0सी0-19 में अवैध कब्जे का उल्लेख किया गया उसी पर आदेश पारित हुआ था। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 67 की रिपोर्ट दिनांक 20.11.2022 के आधार पर आदेश पारित किया जाना न्याय उचित प्रतीत होता है। शेष भूमि के सम्बन्ध रा0नि0/लेखपाल पृथक वाद दायर करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली/क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

मौजा निजामुद्दीन स्थित आ0नं0 208 रकबा 0.0890हे0 अभिलेख में गाड़ा के खाते की भूमि पर 0.004हे0 कब्जा बने रहने के आधार पर प्रतिवादी इस्तियाक अहमद पुत्र कायमअली साकिन निजामुद्दीनपट्टी को अवैध कब्जे से बेदखल किया जाता है, क्षतिपूर्ति स्वरूप मु0 3000रू0(तीन हजार रू0) आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0 सी0 प्रपत्र-21 जारी हो। आदेश की प्रति राजस्व निरीक्षक को अनुपालनार्थ प्रेषित हों। वाद वसूली क्षतिपूर्ति/बेदखली पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

(चमन सिंह)

सहायक कलेक्ट्रर(प्रथम श्रेणी)/तहसीलदार

निजामाबाद आजमगढ़।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्वंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :निजामाबाद
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202315060201988
वाद संख्या:- 1988/2023
सरकार बनाम मो0 असहद मो0 अरसद , मो0 फहीम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 18/11/2023

मौजा निजामुद्दीनपटटी स्थित आ0 नं0 208 रकबा 0.010हे0 मे अभिलेख में गाड़ा पर कब्जा बने रहने के आधार पर प्रतिवादी मो0 असहद, मो अरसद, मो0 फहीम पुत्रगण अबुलैश अहमद सा0 निजामुद्दीनपटटी को अवैध कब्जे से बेदखल किया जाता है, क्षतिपूर्ति स्वरूप मु0 8000रू0(आठ हजार रू0) आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0 सी0 प्रपत्र-21 जारी हो। आदेश की प्रति राजस्व निरीक्षक को अनुपालनार्थ प्रेषित हों। वाद वसूली क्षतिपूर्ति/बेदखली पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रवन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
पीठासीन अधिकारी का नाम:- चमन सिंह
मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :निजामावाद
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202615060207960
वाद संख्या:- 7960/2026
सरकार बनाम मो असहद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 209(ज)
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 25/06/2026

तजबीजसानीकर्ता मो0 अशहद पुत्र अबुललेश द्वारा तजबीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2026 में कहा कि पत्रावली उपरोक्त संलग्न नोटिस पर हम तजबीजसानीकर्ता मो० अशहद, मो० अरशद व मो० फहीम पुत्रगण अबुललैश का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तामिल किया गया है। जबकि मो० अरशद व मो० फहीम पुत्रगण अबुललैश उस समय विदेश में थे परन्तु विपक्षी गॉव के रंजिश के कारण नोटिस पर अपने द्वारा हम प्रार्थी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तामिल किया गया है। जिससे हम तजबीजसानीकर्ता को उस मुकदमें की जानकारी न होने के कारण अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। इस प्रकार पारित आदेश अविधिक एवं नैसर्गिग न्याय के विरूद्ध है। तथा निरस्त होने योग्य है। तजबिजसानीकर्ता मो० अशहद पुत्र अबुललैश लकवा से पीडित हैं जिससे कहीं आना जाना नहीं रहता है। दवा इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। जिससे उक्त एक पक्षीय आदेश की जानकारी नहीं हुई। गाँव में अफवाहन पता चला कि हम तजबीजसानीकर्ता के ऊपर बेदखली की रिपोर्ट की गयी है और उसमें आदेश भी पारित हो गया है तब हम तजबिजसानीकर्ता तहसील आकर पत्रावली का मुआयना कराया तो एक पक्षीय आदेश की जानकारी हुई तो तुरन्त शपथ के साथ तजबिजसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी के आधार पर तजबिजसानी प्रार्थना पत्र मियाद अन्दर है। प्रार्थी दफा 5 कानून मियाद का लाभ पाने का मुश्तहक है। दफा 5 कानून मियाद का लाभ देते हुए तजबिजसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक है।
पत्रावली प्रस्तुत। नामिका अधिवक्ता उपस्थित। तजबीजसानीकर्ता का तजबीजसानी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तजबीजसानीकर्ता को अपने तजबीजसानी प्रार्थना पत्र में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति में वाद चलाने का कोई औचित्य नही है। तजबीजसानीकर्ता मो0 अशहद द्वारा प्रस्तुत तजबीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2026 निरस्त किया जाता है, एवं पारित आदेश दिनांक 18.11.2023 यथावत जाता है। यदि पत्रावली कोई स्थगन आदेश हो निरस्त किया जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा0 द0 हो।

(चमन सिंह)
तहसीलदार
निजामाबाद,आजमगढ़

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

वाद का सारांश

' निकाले

मण्डल: - आजमगढ़ **जनपद:** - आजमगढ़ **तहसील:** - निजामाबाद **न्यायालय:** - तहसीलदार

वाद सं०:	6626/2026	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	T202615060206626
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	सरकार , - **बनाम** इसितयाक अहमद , निजामुददीन पटटी	**वाद की स्थिति:**	साक्ष्य प्रतिवादी
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	25-May-2026
अगला सुनवाई दिनांक:	05-Jun-2026	**अधिनियम, धारा:**	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67
गाँव और परगने का नाम:	**गाँव:- , परगने का नाम:-** निजामाबाद		

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	आजमगढ़	निजामाबाद	निजामाबाद	निजामुद्दीन पट्टी	00227	208	194371-0208-000061	0.0890

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	05/06/2026	साक्ष्य प्रतिवादी

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

वाद का सारांश

प्रिंट निकाले

मण्डल:- आजमगढ़ **जनपद:-** आजमगढ़ **न्यायालय:-** जिलाधिकारी

वाद सं०:	2336/2026	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	D202615060002336
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	मो० शाहिद , मौजा निजामुद्दीनपट्टी, परगना व तहसील निजामाबाद **बनाम** तहसीलदार मण्डल आजमगढ , -	**वाद की स्थिति:**	स्थानांतरण
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	29-May-2026
न्यायालय (जहाँ वाद स्थानान्तरित किया गया):	अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व		
अगला सुनवाई दिनांक:	17-Jun-2026	**अधिनियम, धारा:**	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 67(5)
गाँव और परगने का नाम:	**गाँव:- , परगने का नाम:-** निजामाबाद		

वादग्रस्त भूमि का विवरण								
क्र सं०	**जनपद**	**तहसील**	**परगना**	**ग्राम**	**खतौनी खाता संख्या**	**गाटा संख्या**	**गाटा यूनिक कोड**	**क्षेत्रफल**
1	आजमगढ़	निजामाबाद	निजामाबाद	निजामुद्दीन पट्टी	00227	208	194371-0208-000061	0.0890

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

High Court of Judicature at Allahabad

PENDING

Case Status - **WRIT - C (WRIC)-[23069/2026]**

[Diary/Token No.: 13044252026]

Generated on : 04-06-2026 at 05:17:03 pm

Filing No.	CIVIL12/135607/2026	Filing Date : 27-05-2026
CNR	**UPHC053296712026**	Date of Registration : 30-05-2026

Case Status

First Hearing Date	
Next Hearing Date	
Stage of Case	Newly Fresh
Coram	
Bench Type	Single Bench
Causelist Type	Fresh List
State	UTTARPRADESH
District	AZAMGARH

Petitioner/Respondent and their Advocate(s)

Petitioner	**Respondent**
1. ISTEYAQ **Advocate** - SAURABH KUMAR PANDEY(A/S0682/2015)	1. STATE OF U.P. AND 3 OTHERS 2. DISTRICT MAGISTRATE/COLLECTOR 3. ASSISTANT COLLECOTR-FIRST 4. GRAM SABHA VILLAGE-NIZAMUDDINPATTI **Advocate** - C.S.C.(CSC/2012),RAMESHWAR PRASAD SHUKLA(A/R1061/2012)

Category Details

Category	Writs relating to Uttar Pradesh Revenue Code 2006 and Uttar Pradesh Revenue Code Rules 2016 (110400)
Sub Category	Miscellaneous (110490)

Order/Judgement

#	**Date**	**Order/Judgement**	**Combined Order/Judgment Sheet**
		Order/Judgement Not Found!	

Disclaimer: Status report is based on data available on CCUS servers

Printed on 04-06-2026 at 05:16:02 pm

2026:AHC:126570

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 23069 of 2026

Isteyaq .....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others .....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Saurabh Kumar Pandey
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Rameshwar Prasad Shukla

Court No. - 38

HON'BLE PRAKASH PADIA, J.

1. The only prayer made by counsel for the petitioner is to direct the respondent no.2-District Magistrate, Azamgarh to pass appropriate orders on the application for interim relief filed in the appeal under Section 67 (5) of the U.P. Revenue Code, 2006.

2. It is argued by counsel for the petitioner that aforesaid appeal was filed against the order dated 02.05.2026 passed by the Tehsildar, under Section 67 of the U.P. Revenue Code, 2006 and in case interim relief is not granted petitioner will suffer irreparable loss.

3. Heard learned counsel for the parties and perused the records.

4. From perusal of the record it transpires that in the statutory appeal filed by the petitioner, which is pending consideration before the respondent no.2, the application for interim relief was filed on 21.05.2026, which is still pending.

5. In this view of the matter, appellate authority before whom aforesaid appeal is pending is directed to pass appropriate orders on the application for grant of interim relief within a period of four weeks from today.

6. Till 31.07.2026 or till disposal of aforesaid application, whichever is earlier, no coercive action shall be taken against the petitioner.

June 10, 2026
Pramod Tripathi

(Prakash Padia,J.)

Digitally signed by :-
PRAMOD TRIPATHI
High Court of Judicature at Allahabad

न्यायालय : - तहसीलदार
पीठासीन अधिकारी का नाम:- चमन सिंह
मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :निजामाबाद
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202315060201989
वाद संख्या:- 1989/2023
सरकार वनाम शम्शेकमर ,कमरूज्जमा, सहजमा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/05/2026

निर्णय

प्रस्तुत बेदखली का वाद हल्का लेखपाल की रिपोर्ट आर0सी0प्रपत्र 19 के आधार पर प्रचलित हुआ, जिसमें उल्लिखित है, कि मौजा निजामुद्दीनपट्टी स्थित आ0नं0 249 रकबा-0.0190हे0 अभिलेख में चकमार्ग के खाते की भूमि है, प्रतिवादी द्वारा रकबा 0.003हे0 पर प्रतिवादी शम्शेकमर, कमरूज्जमा, सहजमा पुत्रगण फिरोज अहमद साकिन निजामुद्दीनपटटी द्वारा मकान बनाकर कब्जा किया है।, जिससे गांवसभा की क्षति हुई है। बेदखली हेतु रिपोर्ट के साथ खतौनी व खसरा व नजरी नक्शा दाखिल किया गया है। वाद दर्ज कर नियमानुसार आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया।

पत्रावली मंे दिनांक 26.02.2024 को आपत्तिकर्ता कमरूज्जमा पुत्र स्व0 फिरोज अहमद द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कहा कि लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दिनांक 20.11.2022 बिल्कुल झूठी थी बेबुनियाद है क्योंकि आपत्तिकर्ता या उसके भाईयों ने किसी ग्राम सभा भूमि या चक मार्ग पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है और ना ही किसी तरह का कोई पक्का निमार्ण किया हुआ है। आपत्तिकर्ता का मकान उसके अपने चक में बना हुआ है। लेखपाल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट काल्पनिक है क्योंकि मौके की कोई पेमाईश नहीं की गयीए रही बात चक मार्क 249 की तो वह पहले से निर्मित हैए सबसे पहले 1985 में चकबन्दी के फोरन बाद उपरोक्त चकमार्ग का निर्माण उस वक्त के प्रधान स्व० अली हसन द्वारा कराया गया था। उसके बाद दोबारा चक मार्क 249 का निर्माण श्री इसरार अहमद की प्रधानी में 2019 में पेमाईश के बाद कराया गया है जहाँ किसी तरह की कोई अवरोध नहीं है और पूरा 10 कड़ी का चक मार्ग मौके पर मौजूद है जो आगे पश्चिम तरफ मुस्लिम कब्रिस्तान को जा रहा है और पूर्व दिशा में गाटा संख्या 244 जोकि वर्ग 6 की भूमि है जिससे होकर पूरानी आवादी गाटा संख्या 193 में सम्मिलित हो जाता है लेकिन विपक्षीगण पूर्व दिशा में चक मार्ग 249 से आगे के रास्ते को गाटा संख्या 244 में निर्मित नहीं होने दे रहे हैं और तरह तरह से अवरोध उत्पन्न करते हैं जिस सम्बन्ध में आपत्तिकर्त्ता शिकायत करता रहा है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न हैं। आपत्तिकर्ता विपक्षी श्री इश्तियाक अहमद व उनके लड़के हाजिक शाहिद व आबिद के खिलाफ गाटा संख्या 208 जोकि गड्ढ़ा ध् पोखरी श्रेणी ग्राम सभा की भूमि है। जिस पर विपक्षीगण इश्तियाक अहमद और उनके लड़कों द्वारा पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है। जिसकी शिकायत दिनांक 25.07.2022 से आपत्तिकर्ता के भाई शम्स कमर द्वारा की जाती रही है लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर कई शिकायतें जनसूनवाई पोर्टल के माध्यम से की गयी जिस पर उस समय रहे लेखपाल रामूराम द्वारा कई तरह की गलत रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसमें आखरी रिपोर्ट दिनाक 07.12.2022 को यह कहते हुए प्रेषित की गयी कि श्री इश्तियाक अहमद पुत्र स्व० कायम अली द्वारा गाटा संख्या 208 मौजा निजामुददीन पट्टी में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया गया है। अवलोकन के लिए सभी रिपोर्ट संलग्न है।

पत्रावली में दिनांक 17.02.2024 को आपत्तिकर्ता शम्सेकमर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कहा कि आपत्ति विरूद्ध रिपोर्ट दिनांक.04.12.2025 मि०जा० शम्से कमर पुत्र फिरोज अहमद ग्राम निजामुद्दीनपट्टीए तहसील निजामाबादए आजमगढ़ । रिपोर्ट दिनांक.04.12.2025 काल्पनिक है। सीमांकन किये बगैर प्रेषित की गयी है। इसलिए कि मौके पर चकमार्ग गाटा संख्या.249 रकबा 0-0190 हे० बिल्कुल खाली पड़ा हैए किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है और न ही चकमार्ग में आपत्तिकर्ता द्वारा कोई पक्का निर्माण किया गया है क्योंकि चकमार्ग 1985 में चकबन्दी के बाद सेटिल्ड होकर तत्कालीन प्रधान द्वारा निर्मित कराया जा चुका था और उसके बाद दोबारा 2019.2020 में श्री इसरार अहमद की प्रधानी में फिर से सीमांकन कर सेटिल्ड होकर निर्मित हुआ है । धारा 67 उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 तहसीलदार महोदय को यह अधिकार देता है कि वह ग्राम पंचायत की किसी प्रापर्टी को दुरुपयोग/ क्षति व अतिक्रमण से बचाये लेकिन मौजूदा प्रकरण में न कोई क्षति हुई है और न ही कोई दुरुपयोग हुआ है और न ही किसी तरह का कोई अतिक्रमण आपत्तिकर्ता द्वारा किया गा है। क्योंकि चकमार्ग की भूमि आपत्तिकर्ता के चक गाटा नं0.248 में सेटिल्ड हैए इसलिए आपत्तिकर्ता के खिलाफ लेखपाल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट झूठी और बेबुनियाद और खिलाफ कायदा कानून है। यह कि धारा 26ए उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 पब्लिक रोड और सार्वजनिक भूमि ग्राम सभा पर किसी तरह की आ रही रूकावट को दूर करने के लिए और हटाने के लिए तहसीलदार या असिस्टेन्ट कलेक्टर को अधिकारित करता है लेकिन यहाँ मौजूदा प्रकरण में चकमार्ग 249 में न तो किसी तरह की कोई रूकावट है और न ही रकबे में कोई कमी है। मौजूदा चकमार्ग अपने रकबे 19 एयर में पूरा है और आपत्तिकर्ता की चक में सेटिल्ड है। लेकिन लेखपाल और दूसरे स्थानीय अधिकारी विपक्षीगण से मिलकर जिनके खिलाफ गड्ढे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर आपत्तिकर्ता की शिकायत हैए को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कि गाटा सं0.208 गड्ढे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती रही है और अतिक्रमणियों को बचाने के लिए स्थानीय अधिकारी पूरी

वकालत करते नजर आते हैं। गाटा सं०.208 पर प्रेषित की गयी रिपोर्ट भी अवलोकन हेतु संलग्न है । मौजूदा लेखपाल साहब सिर्फ विपक्षी से मिलकर जिसने अपने खिलाफ शिकायत को लेकर आपत्तिकर्ता से दुश्मनी कर रखी हैए अपने साथी की रिपोर्ट को सही ठहराने पर लगे हुए है न कि धारा 67 (1) व धारा 26 उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 के मुताबिक रिपोर्ट दे रहे हैं कि मौके पर कोई आवागमन में रूकावट हैए रास्ता व चकमार्ग मौके पर अपने रकबे में कम है या ग्राम सभा प्रापर्टी की कोई क्षति हुई है। आपत्तिकर्ता के खिलाफ अब तक किसी ग्रामसभावासी ने कभी कोई शिकायत चकमार्ग 249 स्थित मौजा निजामुद्दीनपट्टी को लेकर कभी नहीं की है क्योंकि मौके पर चकमार्ग 249 में न तो किसी तरह की कोई रूकावट है न ही कोई अतिक्रमण है और न ही ग्राम सभा को कोई क्षति हुई है। आपत्तिकर्ता द्वारा गाँव के ही श्री इश्तियाक व उनके लड़के मोहम्मद शाहिदए हाजिक और आबिद के खिलाफ गड्ढे की भूमि जो कि गाटा सं0.208/0.0890 हे0 पर कब्जे और पक्के निर्माण को लेकर शिकायत करने पर आपत्तिकर्ता के खिलाफ लेखपाल रामू राम से मिलकर दिनांक 20.11.2022 को झूठी रिपोर्ट प्रेषित करए धारा 67 (1) उ० प्र० राजस्व संहिता 2006 की कार्यवाही शुरू की गयी है। जिस पर मौजूदा लेखपाल ने 28.07.2025 को पहले दी गयी रिपोर्ट को फालो करते हुए बगैर किसी सीमांकन के समान रिपोर्ट प्रेषित की और अब फिर से अपने द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को फालो करते हुए दिनांक.04.12.2025 को पहले ही जैसी रिपोर्ट प्रेषित की है। जो हकीहत से बिल्कुल परे हैं। इसलिए कि मौके पर चकमार्ग 10 कड़ी से ज्यादा खाली है और अपने रकबे 19 एयर से ज्यादा है जो कि पहले से दिये गये फोटो से देखा जा सकता हैए और पड़ोसी चक वालो को कोई शिकायत भी नहीं है और जिन लोगों को शिकायत है। वही उपरोक्त चकमार्ग को आगे आबादी में निर्मित नहीं होने दे रहे है।

पत्रावली प्रस्तुत। उभय पक्ष उपस्थित । पक्षो के तर्को को सुना गया। गांवसभा नामिका अधिवक्ता के तर्को को सुना। लेखपाल मण्डल ओहदपुर का बयान भी कराया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, स्पष्ट हुआ कि रिपोर्ट सुदा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा अवैध कब्जा किया है, रिपोर्ट सुदा भूमि मौजा निजामुद्दीनपट्टी स्थित आ0नं0 249 रकबा-0.0190हे0 अभिलेख में चकमार्ग के खाते की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिसपर प्रतिवादी का कब्जा होना सिद्ध है। आपत्तिकर्ता का आपत्ति प्रार्थना पत्र साक्ष्यहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तथा प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली/क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

मौजा निजामुद्दीनपट्टी स्थित आ0नं0 249 रकबा-0.0190हे0 अभिलेख में चकमार्ग के खाते की भूमि पर 0.003हे0 पर कब्जा बने रहने के आधार पर प्रतिवादी शम्शेकमर, कमरूज्जमा, सहजमा पुत्रगण फिरोज अहमद साकिन निजामुद्दीनपटटी को अवैध कब्जे से बेदखल किया जाता है, क्षतिपूर्ति स्वरूप मु0 2250रू0(दो हजार दो सौ पचास रू0) आरोपित किया जाता है। नियमानुसार आर0 सी0 प्रपत्र-21 जारी हो। आदेश की प्रति राजस्व निरीक्षक को अनुपालनार्थ प्रेषित हों। यदि आदेश के विरूद्ध किसी को आपत्ति हो तो मा0 जिलाधिकारी महोदय के न्यायायल मं◌े आदेश की तिथि से 30 दिवस के अन्त्रतगत अपील दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वाद वसूली क्षतिपूर्ति/बेदखली पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

(चमन सिंह)

सहायक कलेक्ट्र(प्रथम श्रेणी)/तहसीलदार

निजामाबाद आजमगढ़।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रवन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"